

भारत सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
आंध्रप्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद
'डी' ब्लॉक, 9 वीं मंजिल, आयकर शिखर
10-2-3, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500 004



GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad
'D' Block, 9th Floor, IT Towers,
10-2-3, A.C.Guards, Hyderabad – 500 004

फा.सं.प्रमुआआ/हैद/ राभा/ 3/ प्रकरराभाकास / 2021-22

दिनांक: 16.11.2021

1. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद/ CCIT, Hyderabad
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद/ DGIT (Inv.), Hyderabad
3. मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी), विशाखपट्टणम / CCIT (ReFAC), Visakhapatnam
4. मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी), विजयवाडा/ CCIT (ReFAC), Vijayawada
5. प्रधान आयकर आयुक्त-1 व 4, हैदराबाद / Pr.CIT-1 & 4, Hyderabad
6. आयकर आयुक्त (टीडीएस), हैदराबाद / CIT (TDS), Hyderabad
7. आयकर आयुक्त (ऑडिट), हैदराबाद / CIT (Audit), Hyderabad
8. आयकर आयुक्त (आईटीएटी-1 व 2) हैदराबाद/ डी.आर. विशाखपट्टणम / CIT (ITAT-1 & 2), Hyderabad/ CIT (ITAT), Visakhapatnam
9. सभी आयकर आयुक्त (अपील यूनिट), आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना/ All CIT's (Appeal Units), AP & TS

विषय:- तिमाही प्रगति रिपोर्ट - सत्यता प्रमाणपत्र सहित समय पर भेजने के संबंध में ।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 114वीं बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदनुसार दिनांक 27.10.2021 को आयोजित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट सही आँकड़ें तथा कार्यालय अध्यक्ष के सत्यता प्रमाणपत्र सहित तिमाही समाप्ति के 05 दिनों के भीतर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद (मुख्यालय) को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि समेकित रिपोर्ट बोर्ड को समय पर भेजी जा सके ।

भवदीया,



(ममतारानी साहु)

उप निदेशक (राजभाषा)